

**न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़**

**पीठासीन अधिकारी : श्री ओ० पी० चन्देलिया**

प्रकरण सं० : 52/2024

अनवान :

कृष्ण कुमार पुत्र लीलाधर जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. लीलाधर पुत्र दलीपरसिंह जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
2. पूजा पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
3. पूनम बैनिवाल पुत्री लीलाधर जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
5. सुशीला पत्नी लीलाधर जाति जाट निवासी बुढेर तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रोबिन की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा बुढेर जमाबंदी संवत 2072-2076 के खाता सं० 50/60 के ख०सं० 204/1 की 1.1250 है०, ख०सं० 249 की 0.8980 है०, ख०सं० 251 की 3.4650 है०, ख०सं० 44/1 की 1.9470 है० ख०सं० 64 की 6.8920 है० कुल 14.3270 है० बाराणी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/16 हिस्सा तथा रोही मौजा बुढेर के खाता संख्या 91/26 के ख०सं० 117 की 2.1370 है०, ख०सं० 178 की 4.1610 है० खसरा संख्या 199 की 0.5560 है०, ख०सं० 206/2 की 8.2960 है०, ख०सं० 239 की 8.7260 है०, ख०सं० 260/1 की 3.8320 है०, ख०सं० 29 की 1.0870 है०, ख०सं० 71 की 8.5240 है० कुल 37.3190 है० बाराणी वादभूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त दोनों खातों में वादी कृष्ण कुमार एवं प्रतिवादी संख्या 1 लीलाधर को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी संख्या 2, 3 तथा 5 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 1 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-07-24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(ओ० प्रकाश चन्देलिया) RA  
 (फास्ट-ट्रैक) भादरा  
 सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
 भादरा, जिला हनुमानगढ़